भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2509

(सोमवार, 3 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

स्टार्टअप और महिला उद्यमिता

2509. श्री अनूप संजय धोत्रेः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत महिलाओं के नेतृत्व वाली कंपनियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कंपनियां स्थापित करने के लिए महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या पहल की गई है;

(ग) क्या सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र में विशेषकर अकोला जिले में कोई जागरूकता या सुविधा कार्यक्रम शुरू किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन पहलों की प्रभावकारिता के संबंध में कोई आकलन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कारपोरेट पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से महिला उद्यमिता को सुदृढ़ करने के लिए आगे क्या उपाय किए जाने पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 149 के अनुसार प्रत्येक कंपनी के लिए बोर्ड का होना अनिवार्य है। धारा 149 की उपधारा (1) के द्वितीय परंतुक के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी तथा 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक की चुकता शेयर पूंजी प्रत्येक अन्य सार्वजनिक कंपनी, अथवा कारोबार 300 करोड़ रुपये या उससे अधिक का कारोबार करने वाली कंपनी को कम-से-कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 203 के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी तथा 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक की चुकता शेयर पूंजी वाली प्रत्येक अन्य सार्वजनिक कंपनी को पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति करना अनिवार्य है, जिसमें प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा प्रबंधक तथा उनके अभाव में पूर्णकालिक निदेशक सम्मिलित हैं। अधिनियम में "कंपनियों के अनुवाओं" शब्द का उल्लेख नहीं है।

अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत उन कंपनियों, जिनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान महिला निदेशक थीं, का राज्य-वार विवरण, जिसमें महाराष्ट्र से संबंधित विवरण भी सम्मिलित है, अनुलग्नक-क में दिया गया है।

(ख): मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई विशिष्ट पहल नहीं की गई है। तथापि, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी के निगमन तथा अनुपालन की प्रक्रिया को सरल बनाकर व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए हैं। ये उपाय देशभर के सभी उद्यमियों, जिनमें महिला उद्यमी भी सम्मिलित हैं, पर समान रूप से लागू होते हैं। इन उपायों का विवरण अनुलग्नक-ख में दिया गया है।

(ग): मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है।

(घ) एवं (ङ): उपर्युक्त भाग (क), (ख) एवं (ग) के उत्तर के दृष्टिगत ऐसा प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अनुलग्नक क

लोक सभा में दिनांक 03.08.2026 को उत्तर के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 2509 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले तीन वर्षों में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत महिला निदेशक वाली कंपनियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार जानकारी हैं:

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2023-24		2024-25		2025-26		कुल कंपनियाँ	कुल महिला निदेशक
		कंपनियों की संख्या	कुल महिला निदेशक	कंपनियों की संख्या	कुल महिला निदेशक	कंपनियों की संख्या	कुल महिला निदेशक		
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	48	66	20	22	37	44	105	132
2.	आंध्र प्रदेश	2190	2757	2406	2980	3791	4667	8387	10404
3.	अरुणाचल प्रदेश	140	251	75	168	94	112	309	531
4.	असम	1016	1517	766	1016	1083	1310	2865	3843
5.	बिहार	3257	4062	2949	3492	4316	5038	10522	12592
6.	चंडीगढ़	349	410	257	321	354	434	960	1165
7.	छत्तीसगढ	827	1241	778	993	1116	1389	2721	3623
8.	दादरा और नगर हवेली	10	11	14	21	19	22	43	54
9.	दमन और दीव	8	9	19	24	21	30	48	63
10.	दिल्ली	8649	10332	7815	9407	10299	12421	26763	32160
11.	गोवा	345	405	384	465	414	501	1143	1371
क्र.सं.		2023-24		2024-25		2025-26			

	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कंपनियों की संख्या	कुल महिला निदेशक	कंपनियों की संख्या	कुल महिला निदेशक	कंपनियों की संख्या	कुल महिला निदेशक	कुल कंपनियाँ	कुल महिला निदेशक
12.	गुजरात	4815	5868	4743	5867	6792	8383	16350	20118
13.	हरियाणा	4938	5935	4943	5928	6686	8100	16567	19963
14.	हिमाचल प्रदेश	415	593	392	564	520	619	1327	1776
15.	जम्मू और कश्मीर	643	819	561	676	731	856	1935	2351
16.	झारखंड	1125	1602	1021	1298	1483	1843	3629	4743
17.	कर्नाटक	8236	10440	7468	9283	9840	12183	25544	31906
18.	केरल	3110	3810	3030	3631	4237	5153	10377	12594
19.	लक्षद्वीप	2	3	-	-	6	7	8	10
20.	मध्य प्रदेश	2979	3949	2798	3534	3862	4963	9639	12446
21.	महाराष्ट्र	18175	24320	17090	22159	22301	28406	57566	74885
22.	मणिपुर	135	240	124	165	158	202	417	607
23.	मेघालय	53	72	43	61	52	67	148	200
24.	मिजोरम	42	54	42	48	31	36	115	138
25.	नगालैंड	106	165	54	73	50	65	210	303
26.	ओडिशा	1876	2837	1827	2539	2429	3320	6132	8696
27.	पुदुचेरी	113	150	124	161	145	178	382	489
28.	पंजाब	1618	1983	1488	1819	1899	2229	5005	6031
29.	राजस्थान	3586	4489	3721	4535	5935	7340	13242	16364
क्र.सं.	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**2023-24**		**2024-25**		**2025-26**		**कुल कंपनियाँ**	**कुल महिला निदेशक**
		कंपनियों की संख्या	**कुल महिला निदेशक**	**कंपनियों की संख्या**	**कुल महिला निदेशक**	**कंपनियों की संख्या**	**कुल महिला निदेशक**		

30.	तमिलनाडु	7505	9423	7486	9281	10125	12573	25116	31277
31.	तेलंगाना	7059	8734	6862	8439	9736	11853	23657	29026
32.	त्रिपुरा	100	163	91	128	124	163	315	454
33.	उत्तर प्रदेश	11140	13734	10200	12467	14559	17789	35899	43990
34.	उत्तराखंड	891	1114	958	1206	1195	1432	3044	3752
35.	पश्चिम बंगाल	4729	5993	4259	5191	5618	6948	14606	18132
कुल योग		**100230**	**127551**	**94808**	**117962**	**130058**	**160676**	**325096**	**406189**

अनुलग्नक ख

दिनांक 03.08.2026 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2509 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देने तथा कंपनी निगमन और अनुपालन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं:

(i) मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या स.क.नि. 880(अ), दिनांक 01.12.2025 के माध्यम से लघु कंपनियों के वर्गीकरण हेतु निर्धारित सीमा में वृद्धि करते हुए चुकता शेयर पूंजी की सीमा 4 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये तथा कारोबार की सीमा 40 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दी है। इससे अधिक संख्या में कंपनियाँ लघु कंपनी के रूप में पात्र होंगी तथा सरलीकृत अनुपालन आवश्यकताओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगी, जिससे लघु व्यवसायों के औपचारिकीकरण तथा विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

(ii) 15 लाख रुपये तक की अधिकृत शेयर पूंजी वाली सभी कंपनियों के निगमन के लिए अथवा जिन कंपनियों की शेयर पूंजी नहीं है, उनके मामले में 20 तक सदस्यों वाली कंपनियों के निगमन के लिए कोई फाइलिंग शुल्क नहीं लिया जाता है, जिससे व्यवसाय स्थापित करने की लागत में कमी आती है।

(iii) मंत्रालय ने समेकित वेब-आधारित निगमन प्रपत्र, स्पाइस+ के साथ एजाइल-प्रो-एस प्रारंभ किया है, जो व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए आवश्यक विभिन्न पंजीकरणों यह हेतु एकल-खिड़की मंच उपलब्ध कराता है। इस समेकित प्रणाली के माध्यम से आवेदक एक साथ निम्नलिखित ग्यारह सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं:

(i) स्पाइस+ के साथ एजाइल-प्रो-एस नामक एकल समेकित नवीन वेब प्रपत्र प्रारंभ किया गया है। यह प्रपत्र "व्यवसाय प्रारंभ करने" से संबंधित निम्नलिखित ग्यारह सेवाएँ प्रदान करता है, अर्थात्– (i) नाम आरक्षण, (ii) निगमन, (iii) स्थायी खाता संख्या (पैन), (iv) कर कटौती खाता संख्या (टैन), (v) निदेशक पहचान संख्या (डिन), (vi) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) पंजीकरण, (vii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) पंजीकरण, (viii) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संख्या, (ix) बैंक खाता संख्या, (x) व्यवसाय कर पंजीकरण (मुंबई, कोलकाता तथा कर्नाटक), (xi) दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान पंजीकरण।

इन उपायों से निगमन प्रक्रिया सरल हुई है, अनुपालन संबंधी बोझ तथा लेन-देन लागत में कमी आई है तथा देशभर में, जिसमें ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, व्यवसायों की स्थापना एवं संचालन को सुगम बनाया गया है।